क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/03/2023	~~पत्रावली पेशहुई। वकील वादी उपस्थ~~ वकील वादी व वादीगण उपस्थ। वकील वादी एवं वादीगण ने उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र एवं दावा विड्रो किये जाने बाद पत्र प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 30/3/23 नियत है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति हो गई है वादीगण अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहती है एवं बिना किसी अनुतोष के वादीगण अपने वाद को विड्रो कर इसी स्तर पर निस्तारित कराना चाहती है। प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई एवं वाद विड्रो स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने की। पूर्व में दिनांक 01/3/21 को प्रतिवादी सम्मन या copy की तामील एवं पश्चात कार्यवाही की गई थी। अतः वकील वादी एवं वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र एवं दावा विड्रो किये जाने वाद पत्र प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। वकील वादी का वाद विड्रा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दफ्तर के कर दी जावे। फैसला शुमार होकर फाइल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/03/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Vaid सहायक कलेक्टर जयपुर महानगर द्वितीय

वादी अधिवक्ता